

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उधम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,

टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना-८०००२३

SPEED POST

संदर्भ: PG/ER-I/RHQ/RTI-259/2020-21/

1449

दिनांक: 22 01.2021

सेवा में,

श्री महेश प्रसाद गुप्ता, पे.रास देव साह,

अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता,

पता-ब्रजानंदन प्रसाद साह, वरिय अधिवक्ता,

आशा इंकलेव, तिलक नगर, स्टेशन रोड, बेगुसराय-851101

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

महाशय,

कृपया आप अपने आवेदन दिनांक-11.01.2021 के द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु पू.क्षे.1, पावरग्रिड, पू.क्षे.1, आर.टी.आई कार्यालय, पटना-23, को अग्रसारित किया गया था, **का संदर्भ लेंगे**, जो दिनांक **18.01.2021** को प्राप्त हुआ था। जिसकी मूल प्रति संलग्न कर सम्बंधित विभाग पावरग्रिड, पू.क्षे.1, पटना, को उत्तर/सूचना प्राप्ति के लिए अग्रसारित किया गया था। सम्बंधित विभाग द्वारा उत्तर/सूचना प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ अनुलग्नक-क(पेज-1/2&2/2) के रूप में संलग्न कर आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार का पता:

श्री ए.के.मैती, कार्यपालक निदेशक सह अपीलीय प्रथम प्राधिकारी,

पावरग्रिड, मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र-1,


बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,

टी.आर.डब्लू सेंटर के नजदीक,

पोस्ट&थाना-शास्त्रीनगर, पटना-800023(बिहार)

सधन्यवाद,

भवदीय




(एम.के.अग्रवाल)


वरि.महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न: अनुलग्नक-क (पेज-1/2 & 2/2):

31/08/95: 40 (1/2)



MEMORANDUM OF AGREEMENT



POWERGRID NATIONAL BIPARTITE COMMITTEE

CP

NEW DELHI
21st AUGUST, 1995

अनुसूचित श्रेणी (क) (2/2)

(घ) तथापि, जहाँ पर एलटीसी प्रमाणन के आधार पर या गृह नगर (होम टाउन) के लिए ली जाएगी, वहाँ पर ऊपरलिखित (ख) और (ग) की सहायता लागू नहीं होगी।

0.5.4 ऐसे प्रत्येक कामगार के जो कि इयूटी करते हुए दुर्घटना स्वरूप स्थाई रूप से अपंग हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, उसके एक आश्रित को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार नौकरी दी जाती रहेगी। इस उद्देश्य के लिए आश्रित का अर्थ है- कर्मचारी की पत्नी/पति, उसके पुत्र या पुत्री या कानूनी रूप से दत्तक पुत्र/पुत्री।

(d) The above assistance at (b) and (c), however, will not be applicable in cases where LTC is availed on certification basis or to Home Town.

0.5.4 Employment to one dependent of each workman who is permanently disabled or dies as a result of accident while on duty, will continue to be provided as at present. Dependent for this purpose will mean spouse of the employee, his/her son or daughter or legally adopted son/daughter.

for

पावरग्रिड
POWERGRID

सवा में,

श्री महेश प्रसाद गुप्ता, पे.रास देव साह,

अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता,

पता-ब्रजन्दन प्रसाद साहू, वरिय अधिवक्ता,

आशा इंकलेव, तिलक नगर, स्टेशन रोड, बेगूसराय-851101

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

स्पीड पोस्ट / SPEED POST

BNPL Code No.
PAT-24301



20/12

20